

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.2(30)नवि/3/2016

जयपुर, दिनांक :- 3 OCT 2017

आदेश

नगरीय निकायों में पूर्व से विभिन्न परिसर/दुकाने किराये पर दी गई है, उक्त दुकानों की लघु अवधि लीज, किरायेदारी की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर ऐसी सम्पत्ति जो 40 वर्गमीटर या उससे कम क्षेत्रफल की सम्पत्ति है का 30 वर्ष की अवधि के लिए लीज का नवीनीकरण व्यावसायिक आरक्षित दर के 50 प्रतिशत राशि जमा कराने पर किये जाने हेतु स्वायत्त शासन विभाग द्वारा निम्न आदेश जारी किये है :-

- (1) क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/13687 दिनांक 10.05.17
- (2) क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/26252 दिनांक 27.06.17
- (3) क्रमांक प.8(ग)()नियम/डीएलबी/17/32071 दिनांक 14.08.17

इस तरह के कतिपय परिसर/दुकानें प्राधिकरण/नगर विकास न्यास क्षेत्र में भी होने की सूचना मिली है।

अतः नगरीय विकास विभाग में भी उपरोक्त परिपत्रों आदेशों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु समस्त प्राधिकरणों/नगर विकास प्रन्यासों को निर्देशित किया जाता है।


संलग्न:-उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास, आवासन मण्डल विभाग, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त (समस्त) राजस्थान।
4. जिला कलेक्टर (समस्त) राजस्थान।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त)।
8. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
9. वरिष्ठ नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को उक्त अधिसूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. श्री आर.के.पारीक, विशेषाधिकारी/परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, नगर नियोजन भवन जेडीए जयपुर के पास।
12. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग।
13. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
14. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग।
15. रक्षित पत्रावली।


सलाहकार (विधि)